FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ________ मुकाम ________

________ बनाम ________

मुकदमा ________ नं. ________ सन् ________

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। साक्ष्य वादी में वादी के बयान कराये गये। दस्तावेज प्रदर्श कराये और साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली वास्ते बहस के दिनांक 24.9.25 को पेश हो। [signature] 17/9/25	
24/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील वादी ने बहस में कथन किया गया किया वाद पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 569 में से पूर्व-पश्चिम 11 गज व उत्तर दक्षिण 33 गज भूमि वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज से क्रय की गई है रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जावे। तथा वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी क्रमांक -1 की मृत्यु होने से इनका नाम डिलीट किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या -1 के नाम को डिलीट करने का प्रा[illegible] को पेश किया गया जिसको स्वीकार [illegible] तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 [illegible] डिलीट किया जाने का [illegible] साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश [illegible] जिस पर वकील वादी ने बयान वादी के कराये गये दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित [signature] 24/9/25	

[stamp] जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.10.30 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में ज
	कराये गये। वकील वादी की बहस को सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न दस्तावेजों आदि का गहनता से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि मौजा भिकारड़ा की आराजी नम्बर 569 में से दिनांक 21-2-1974 को पूर्व-पश्चिम 11 गज व उत्तर-दक्षिण 33 गज भूमि वादी द्वारा 1200/ बारहसौ रुपये में क्रय की गई है। वर्तमान समय में वादी के नाम दर्ज नहीं हुई है। इसलिए वादी द्वारा क्रय की गई भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 3 तक के हिस्से में से कम कर वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए वादी का वाद पत्र धारा 88, 188 आर. टी. ए. को स्वीकार किया जाता है। तथा आराजी नम्बर 569 में से 11 गज भूमि पूर्व-पश्चिम व 33 गज भूमि उत्तर-दक्षिण की भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने की घोषणा की जाती है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। डिक्री पर्चा मुर्तिब होकर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो। 24/09/15 डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.10.30 13:30:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner